Telephone : 0135 – 2643070
E-Mail : wbddn.upsvnn@gmail.com

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

38-B MDDA Complex Near ISBT, Dehradun (Pin – 248002)

पत्रांक 498 / निविदा / 23 दिनांक 19-06-2018

## अल्पकालीन निविदा/कोटेशन सूचना

इस कार्यालय के पत्रांक 474/निविदा विज्ञापन/17 दिनांक 07.06.2018 के द्वारा दिनांक 09.06.2018 के हिन्दी दैनिक अमर उजाला तथा अंग्रेजी के दैनिक हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाशित निविदा/कोटेशन दिनांक 30.06.2018 को पुनः आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन सांय 15:30 बजे खोली जायेंगी। विस्तृत कोटेशन उत्तराखण्ड पेयजल निगम की वेबसाईट www.ukterndrs.gov.in से डाउनलोड अथवा ई–मेल पर सूचित करते हुये प्राप्त किया जा सकता है।

| कम संख्या | कार्य का विवरण | कोटेड दर रू0प्रति हाउस होल्ड में |
|---|---|---|
| 1 | मोबाइल ऐप पर निर्धारित पपत्र के अनुसार बेसलाईन सर्वेक्षण एवं समस्त हाउस होल्ड के जियो टैगिंग का कार्य | |

**नोट :**

भुगतान हेतु निर्धारित प्रक्रिया का विवरण निम्नवत है।

(प्रकाशन हेतु नहीं)

| क0सं0 | कार्य का विवरण | निर्धारित समय सीमा | भुगतान प्रतिशत में |
|---|---|---|---|
| 1 | जनपद देहरादून के मेहूंवाला क्लस्टर में शामिल ग्रामों एवं जनपद टिहरी के ढालवाला क्षेत्र के अन्तर्गत बेसलाईन हाउस होल्ड सर्वेक्षण। | 60 दिन | 60 |
| 2 | डिटेल सर्वे कार्यालय में प्रस्तुत करने एवं सत्यापन में उपयुक्त पाये जाने पर। | सर्वेक्षण के साथ–साथ + 10 दिन | 30 |
| 3 | प्रधान कार्यालय /SWSM द्वारा सर्वेक्षण के आंकडे स्वीकार कर लिये जाने पर। | 10 | 10 |

**नियम एवं शर्तें :–**

1. सभी प्रस्ताव / कोटेशन मात्र सील बन्द लिफाफे में ही स्वीकार की जायेगी।
2. कोई भी अथवा समस्त कोटेशन बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। उपरोक्तानुसार पेयजल योजनाओं के बेसलाईन सर्वेक्षण के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की संख्या एवं नामों में परिवर्तन हो सकता है।
3. कोटेशन दाताओं के द्वारा विगत पांच वर्षों में न्यूनतम दो नग पेयजल योजनाओं के बेस लाईन सर्वेक्षण तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट शासकीय विभाग / निगम हेतु तैयार कर प्रस्तुत की गयी हो। अनुभव का साक्ष्य कोटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. कोटेशन के साथ रू0 100 का स्टाम्प पेपर एवं धरोहर रू0 10000.00 (रू0 दस हजार मात्र) किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अधिसूचित (scheduled) बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है जो अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के नाम बन्धक

Telephone : 0135 – 2643070
E-Mail : wbddn.upsvnn@gmail.com

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

38-B MDDA Complex Near ISBT, Dehradun (Pin – 248002)

होगी। धरोहर धनराशि अन्य किसी रूप में स्वीकार नहीं होगी। बिना धरोहर धनराशि की निविदा/कोटेशन अमान्य होगी। कोटेशन दाता द्वारा विभाग में किसी सगे सम्बन्धी के कार्यरत न होने सम्बन्धी, नोटरी से प्रमाणित शपथपत्र कोटेशन के साथ संलग्न करना होगा।

5. कोटेशन प्रस्तुत करने से पूर्व कोटेशन दाता सर्वेक्षण हेतु प्रस्तावित नगरों/क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियों का भलि–भॉति निरीक्षण कर अपनी शंकाओं का समाधान कर लें उत्तरोत्तर में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
6. फर्म द्वारा दी गयी दरों में निर्धारित जी0एस0टी0 शामिल है अथवा अतिरक्ति है, इसका स्पष्ट उल्लेख दरों में करना होगा। दरें अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट अंकित की जायें।
7. भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा तथा देय करों की नियमानुसार कटौती की जायेगी।
8. दरें 90 दिनों हेतु वैद्य मानी जायेगी।
9. सशर्त एवं अपूर्ण काटेशन स्वीकार्य नहीं होगी
10. मोबाईल ऐप, विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा सम्बन्धित कोटेशन दाताओं द्वारा सर्वेक्षण कार्य करने हेतु उपयुक्त सर्वेयर तैनात करते हुये उन्हें एनरॉयड मोबाईल फोन उपलब्ध कराना होगा जिसमें ऐप लोड करके उसके माध्यम से सर्वेक्षण कार्य कराया जायेगा। विभाग द्वारा कोई मोबाईल उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
11. इस हेतु ऐप बनाने वाली संस्था द्वारा सभी सर्वेयर को प्रशिक्षण दिया जायेगा, ऐप के द्वारा किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। सर्वेक्षण के सत्यापन करने पर किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने की स्थिति में सर्वेक्षण की धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा, पूर्व में किये गये भुगतान से नियमानुसार कटौती की जायेगी।
12. सर्वेक्षण के उपरान्त सभी आंकडों पर पर मात्र पेयजल निगम का ही अधिकार होगा। अन्य प्रयोजन हेतु आंकडों का प्रयोग निषेध होगा।

अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0: 498 / निविदा / 93 दिनांक 19-06-2018

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।**

1. मुख्य अभियन्ता (मु0), प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता (गढ0), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौडी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मण्डलीय लेखाकार/संगणक।

अधिशासी अभियन्ता